21-6-24 पत्रा० पेश हुई। अधि० अपीलांट उप०। रेस्पो० नं. 1 व 2 की तरफ से अधि० उपस्थित रेस्पो० नं. 3 व 4 को पुनः नोटिस जारी पेश होके पत्रावली हो। पत्रा० दि० 11-7-24 को पेश हो।-

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

11-7-24 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष अधिवक्ता उपस्थित। रेस्पो० नं. 3 व 4 के नोटिस पेश होके पर जारी हो। पत्रावली दिनांक 18-7-24 को पेश हो।-

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

18-7-24 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकेन अपीलांट अनुपस्थित। पीठासीन अधिकारी अन्य राजकार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 1-8-24 पेश हो।

1-8-24 पत्रावली पेश हुई। अपीलांट द्वारा कोई कार्यवाही करने/कार्य स्थगित करने [illegible] पत्रावली पर कोई कार्यवाही [illegible] पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 8-8-24 पेश हो।

8-8-24 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलांट को बारम्बार आवाज लगवाई गई बावजूद अनुपस्थित पूर्व में भी लगातार अनुपस्थित रहे हैं। उभय पक्ष से रेस्पो० के नोटिस तामील पेश नहीं किये गए हैं। इससे सिद्ध होता है कि अपीलांट अधिवक्ता पत्रावली में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। अपीलांट अधिवक्ता अस्वस्थ बकालत अनुपस्थित रहने के कारण पत्रावली अदम पैरवी अपील अपीलांट खारिज की जाती है। पत्रावली बाद निर्णय दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर खारिज दफ्तर हो।-

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर